



## TOPIC-1

1.6

निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र  
(Ethics in Private and Public Relationship)

ETHICS  
GS  
(PAPER-IV)

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति जीवन में निर्णय लेता है और कार्य संपादन करता है। इनका कोई आधार या मानदंड होता है, साथ ही इसका कोई लक्ष्य भी होता है। इन्हीं आधारों एवं लक्ष्यों का निर्धारण नीतिशास्त्र में होता है। चूँकि व्यक्ति समाज का एक अंग है, इसलिए निजी जीवन में वह जो कुछ करता है, उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव सार्वजनिक जीवन पर भी पड़ता है। पुनः सार्वजनिक जीवन में किये जाने वाले कर्मों का प्रभाव भी निजी जीवन पर पड़ता है।

सार्वजनिक नैतिकता और निजी नैतिकता के मध्य **अनुक्रियात्मक संबंध** पाया जाता है। अतः सार्वजनिक नैतिकता निजी नैतिकता से प्रभावित होती है। एक लोक सेवक समाज के सदस्य के रूप में न केवल समाज द्वारा धारण किए जाने वाले एवं व्यवहारिक मूल्यों एवं नैतिक मानदंडों का उपार्जन करता है बल्कि समाज द्वारा निर्मित मूल्यात्मक एवं नैतिक परिवेश में वह कार्य करता है तथा जो उसके निर्णयों को प्रभावित भी करते हैं। बदले में लोक सेवक अपने निर्णयों एवं कृत्यों द्वारा इनको प्रभावित करते हैं। इस प्रकार निजी लोक संबंध (Private-Public Relation) एक **उभयपक्षीय प्रक्रिया** का द्योतक है। फलतः निजी सार्वजनिक संबंध के संदर्भ में नीतिशास्त्र सदैव एक चर्चा का मुद्दा रहा है।

निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र का मूल भाव महर्षि व्यास ने महाभारत में यह कहते हुए स्पष्ट किया है कि- 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'

अर्थात् **जो व्यवहार स्वयं अपने आपको अच्छा न लगे वैसा व्यवहार दूसरे के साथ न करे।**

मानव जीवन के अनेक पक्ष हैं जैसे- सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन आदि। जीवन के इन सभी क्षेत्रों में, मानवीय क्रियाकलापों में, व्यक्ति के नैतिक सोच, नैतिक मूल्य एवं स्वीकृत मानकों एवं मान्यताओं का व्यापक प्रभाव होता है। निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए पहले 'निजी' एवं 'सार्वजनिक' संबंध को समझना आवश्यक होगा।

निजी संबंधों में नैतिकता: नैतिक आचरण के वे पक्ष जो व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर अथवा निजी व्यवसाय या निजी संस्थान के क्रियाकलापों और आचरण से संबंधित हैं वे व्यक्तिगत नैतिकता के दायरे में आते हैं। इस पक्ष का संबंध व्यक्ति के अपने व्यक्तिनिष्ठ पक्ष से है। इसके अंतर्गत उसके व्यक्तिगत मूल्य, विचार, पसंद-नापसंद, कार्यशैली आदि आते हैं। निजी संबंधों में सामान्यतः अधिक घनिष्ठता, जुड़ाव या निकटता होती है। ऐसी स्थिति में संबंधित पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परस्पर एक-दूसरे की निजता का सम्मान करेंगे और उसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। अन्य लोगों से भी सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करें। निजी संबंधों में प्रायः भावनात्मक पक्ष की प्रबलता, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, परस्पर विश्वास और निजता के सम्मान का भाव होता है।

सामान्यतः निजी संबंधों में सार्वजनिक हस्तक्षेप को स्वीकार्य नहीं किया जाता है, परंतु यदि निजी संबंधों में मानवता एवं प्रगतिशील मानवीय मूल्यों पर प्रहार हो रहा हो, तो फिर वैसी स्थिति में सार्वजनिक हस्तक्षेप उचित माना जायेगा। इस संदर्भ में कुछ कानून भी बनाये गये हैं जैसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। अभी हाल ही में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन अधिनियम 2019) में भी यह प्रावधान किया गया है कि बुजुर्ग माता-पिता की देख-भाल की जिम्मेदारी बेटा-बेटी के साथ-साथ बहु और दामाद को भी उठानी पड़ेगी अन्यथा दंडात्मक कारवाई की जायेगी। जापान में तो माता-पिता को बच्चों पर हाथ उठाने से रोकने हेतु अधिनियम भी बनाया गया है। इसके तरह शरारत करने पर बच्चों को भूखा सुलाना या उन्हें थप्पर मारना बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन माना जायेगा और इस संदर्भ में दंडात्मक कारवाई की जायेगी।

जब व्यक्ति के द्वारा स्वीकृत मूल्य, विचार और कार्यशैली सामुदायिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं, तो फिर वे मूल्य और मान्यतायें सार्वजनिक नैतिकता के अंग हो जाते हैं।

सार्वजनिक संबंध: व्यापक रूप में व्यक्ति के वे सभी कार्य एवं व्यवहार जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज को प्रभावित करते हैं, सार्वजनिक जीवन की श्रेणी में आ जाते हैं। जीवन का सामुदायिक स्वरूप ही सार्वजनिक है। इसमें व्यक्ति के अपने निजी हित की बजाय व्यक्तियों या समुदाय के समान हित की बात होती है। इसमें व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक संस्थाओं के क्रियाकलापों



और तथ्य संबंधी आचरण सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक संबंधों में वैसे मूल्यों, मान्यताओं, विचारों एवं नैतिकता की बात होती है, जिन्हें समाज के लोग स्वीकार करते हैं। इसी संदर्भ में नियम, विनियम, जवाबदेहिता, कानून का भय आदि की भी स्थिति उभरती है।

निजी और सार्वजनिक दोनों संदर्भों में यदि एकरूपता हो तो फिर जीवन में संतुलन बना रहता है। जिन मूल्यों एवं आदर्शों को व्यक्ति निजी तौर पर स्वीकार करता हो, वे ही मूल्य यदि सार्वजनिक जीवन में भी अभिव्यक्त हों तो फिर मानवीय मूल्यों को साकारित करना या व्यावहारिक रूप देना आसान हो जाता है। उदाहरणस्वरूप- गाँधी निजी एवं सार्वजनिक दोनों संदर्भों में सामान्यतः सत्य, अहिंसा एवं अनुशासन का अनुशीलन करते रहे।

### प्रशासनिक संदर्भ में निजी और सार्वजनिक संबंधों में विद्यमान चिंताएँ

यदि व्यक्तिगत जीवन में अनैतिकता हो तो फिर सार्वजनिक संबंधों में भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए विशेषकर प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन के साथ निजी जीवन में भी शुचिता का भाव रखें क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर योजनाओं को क्रियान्वित करने का भार होता है तो साथ ही दूसरी तरफ लोगों की उनसे अपेक्षाएँ भी जुड़ी रहती है तथा उसे एक आदर्श के रूप में भी देखा जाता है। वस्तुतः एक लोक सेवक की विश्वसनीयता उस विश्वास (Faith) में निहित होती है जो जनता उनमें व्यक्त करती है। अतः लोग यह उम्मीद या अपेक्षा (Expects) करते हैं कि लोक सेवक अपने निजी जीवन में भी उच्च नैतिक आचरण मानदंड (High Ethical Standard) को बनाए रखें।

लोक सेवक होने का तात्पर्य है कि हितों के टकराव (Conflict of Interests) की स्थिति में व्यक्ति सार्वजनिक हित (Public Interest) को निजी हित (Private Interest) के आगे रखे क्योंकि एक लोक सेवक लोकहित का न्यासी (Trustee of Public Interest) होता है अतः उसे लोक कल्याण के भाव से काम करना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक जनहित की सोच होती है उसी प्रकार निजी क्षेत्र की भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी तर्क के आधार पर निगमित क्षेत्र के सामाजिक दायित्व (CSR = Corporate Social Responsibility) की अवधारणा का विकास हुआ।

**धार्मिक संदर्भ:** धार्मिक संदर्भ में व्यक्ति अपनी निजी मान्यता या विश्वास के अनुरूप सामान्यतः काम करता है परंतु सार्वजनिक स्थल पर उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना हो तो फिर उसे निजी मान्यताओं से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित में कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति विशेषकर सांप्रदायिक दंगों, जातिगत झगड़ों, प्रांतीय विवादों आदि के संदर्भ में प्रशासक के समक्ष उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में प्रशासक को व्यक्तिगत हित एवं मान्यता से ऊपर उठकर सार्वजनिक हित की रक्षा हेतु अपरिहार्य कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं।

**आर्थिक संदर्भ:** यद्यपि संपत्ति निजी मामला है किंतु एक लोक सेवक को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होता है ताकि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का उच्च स्तर बना रहे।

जब व्यक्ति के व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में संघर्ष हो तो वैसी स्थिति में सार्वजनिक हित को वरीयता देनी चाहिए। जब प्रशासनिक संदर्भ में किसी अधिकारी का व्यक्तिगत हित सार्वजनिक हित पर हावी होने लगता है तो उसकी परिणति भ्रष्ट आचरण के रूप में उभरकर सामने आती है, जैसे-

सरकारी जमीन पर प्राइवेट बिल्डरों द्वारा नेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर नई कॉलोनियाँ विकसित की गई हैं। यहां तक कि वन विभाग और रिज क्षेत्र की भूमि पर भी अनधिकृत कॉलोनियाँ बसा दी गई हैं। यह सरकारी अधिकारियों, नेताओं एवं प्राइवेट बिल्डरों के नापाक गठबंधन का नकारात्मक परिणाम है।

**व्यक्तिगत ही राजनीति है:** उग्र नारीवाद का एक बहुचर्चित नारा है- व्यक्तिगत ही राजनीति है। जब एक समूह दूसरे समूह पर शासन करता है तब वह संबंध राजनैतिक हो जाता है और जब यह व्यवस्था लंबे समय तक चलती है तब वह विचारधारा में परिणत हो जाती है।

वस्तुतः यह नारा कि 'व्यक्तिगत ही राजनीति है', प्राइवेट (निजी) और पब्लिक (सार्वजनिक) के द्वि-विभाजन को दिखाता है जो कि राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार में किया जाता रहा है। घरेलू उत्पीड़न, हिंसा इत्यादि को व्यक्ति का निजी मामला बताकर राज्य को उसमें हस्तक्षेप से दूर किया जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार में जनतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती। बाहर (सार्वजनिक स्तर



पर) जिस जनतंत्र को उचित और आवश्यक माना जाता है, परिवार के स्तर पर उसे ही अनुचित एवं गैर-आवश्यक रूप में स्थापित कर दिया जाता है। इससे स्त्रियों के शोषण को बढ़ावा मिलता है।

उग्र नारीवाद के अनुसार नारी के विरुद्ध घरेलू हिंसा, शिशु दुर्व्यवहार तथा बलात्कार जैसे व्यक्तिगत विषय सार्वजनिक क्षेत्र में अब आ गये हैं। इन मुद्दों पर राजनीतिक दबाव का अर्थ या नारीवादी दबाव का अर्थ यह मानना है कि परिवार के भीतर के 'निजी क्षेत्र' में महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार की हिंसा विद्यमान है। इस हिंसा के विरुद्ध वैसी ही कार्यवाही की जानी आवश्यक है जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र में हिंसा के साथ होती है। स्त्रीवादियों के अनुसार- हमें सार्वजनिक जीवन में अपनाये जाने वाले मूल्यों को निजी जीवन में भी अपनाना होगा। जिन आधारों पर हम देश या समाज में जनतंत्र चाहते हैं उन्हीं आधारों पर हमें परिवार में भी जनतंत्र कायम करना होगा।

आज महिला शोषण, महिला उत्पीड़न बाल शोषण, बालकों के अधिकार, विवाह, महिलाओं की संपत्ति का अधिकार बच्चों की शिक्षा का अधिकार, पति-पत्नी का संबंध आदि भी पूर्णतः कानूनी रूप से परिभाषित हो गये हैं, कानूनी रूप ले चुके हैं।

## अस्तित्ववादी विचार

स्वतंत्रता का अभिप्राय है- चयन की स्वतंत्रता या निर्णय की स्वतंत्रता, अर्थात् व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, उनमें वह अपनी इच्छा से किसी एक विकल्प का चयन करता है और इस प्रकार अपना आत्म-निर्माण करता है।

अस्तित्व होने का अर्थ है- स्वतंत्र होना। यही स्वतंत्रता मनुष्य की विवशता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य स्वतंत्रता से मुक्त नहीं हो सकता है। सार्त्र इसी विकट परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए कहते हैं- मानव स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है (Man is condemned to be free)। मनुष्य को प्रत्येक स्वतंत्र निर्णय लेने में एक भार वहन करना पड़ता है और यह भार उत्तरदायित्व का भार है। सार्त्र के अनुसार स्वतंत्रता की अनुभूति में उत्तरदायित्व का भार अनिवार्यतः निहित है। यह उत्तरदायित्व व्यक्ति में अपने प्रति भी होता है और अन्यो के प्रति भी। व्यक्ति निर्णय तभी लेता है जब वह यह सोच लेता है कि ऐसी परिस्थिति में फंसा प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार का निर्णय लेगा। इस प्रकार व्यक्ति अपने लिये निर्णय लेने के क्रम में अन्यो का भी मार्गदर्शक बन जाता है। वह स्वयं का निर्माण करते हुए मानवता का भी निर्माण करता है। इसी संदर्भ में यह कहा गया है कि **मनुष्य ही मनुष्य का भविष्य है।**

उत्तरदायित्व की भावना से मानव में चिंता आदि स्ववृत्तियों का जन्म होता है। चेतन अस्तित्ववान व्यक्ति को चिंता आदि स्ववृत्तियों के साथ जीना चाहिए। सार्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति इन स्ववृत्तियों के साथ जीता है तो उसके जीवन को प्रामाणिक जीवन कहा जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-51(क) में प्रत्येक नागरिक के लिए वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों में निजी और सार्वजनिक नैतिकता के मूलभाव एवं निर्देश दिखाई देते हैं। ये हैं-

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे;
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
3. भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
11. माता-पिता या संरक्षक अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अंतःस्थापित,

## सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता इसलिए आवश्यक है कि-

- जनता और अधिकारी के बीच अच्छे संबंध बने रहे।
- कानूनों एवं संविधान का पालन हो।
- जनहित और व्यक्तिगत लाभ के बीच संघर्ष न हो।
- सार्वजनिक जीवन में एक आदर्श की स्थापना हो।

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के संबंध में सन् 1994-97 में ब्रिटेन द्वारा गठित नोलन समिति ने सार्वजनिक जीवन के निम्नांकित सिद्धांत बताए-

1. **निःस्वार्थनिष्ठता:** सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को जनहित से संबंधित निर्णय स्वयं ही लेने चाहिए। परंतु अपने, अपने परिवार और मित्रों को वित्तीय या भौतिक लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा करना अनुचित होगा।
2. **सत्यनिष्ठा:** सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या अन्य दबाव से अपने को लिप्त नहीं करना चाहिए जो उनके सरकारी कार्य में दखलअंदाजी करें।
3. **विषयनिष्ठता:** सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को सरकारी काम अपने चयन की योग्यता के आधार पर करने चाहिए जैसे- सार्वजनिक नियुक्तियां करना, संविदाओं को स्वीकृति प्रदान करना या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ या पुरस्कार की सिफारिश करना आदि शामिल है।
4. **जवाबदेही:** सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को अपने निर्णय और कार्यवाही के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा और अपने पद के लिए जो उचित छानबीन आवश्यक है वह प्रस्तुत करनी चाहिए।
5. **निष्कपटता:** सार्वजनिक पद पर आसीन लोगों को अपने निर्णय और कार्यवाही संबंधी मामलों में निष्कपट होना चाहिए। उन्हें अपनी कार्यकाही के लिए कारणों का उल्लेख करना चाहिए और किसी सूचना को देने पर तभी रोक लगानी चाहिए जब जन हित में इसकी मांग हो।
6. **ईमानदारी:** सरकारी पदधारी व्यक्तियों को सरकारी काम से संबंधित निजी हितों की घोषणा करनी चाहिए और ऐसे किसी विरोध के समाधान के लिए कदम उठाना जो हितों की रक्षा करने में सहयोगी हो।
7. **नेतृत्व:** सरकारी पद पर आसीन लोगों को अपने नेतृत्व द्वारा इन सिद्धांतों को समर्थन कर बढ़ावा देना चाहिए।

सारतः मानव के नैतिक एवं आधारभूत विकास में शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, जीवन में सफलता, जीवन जीने का तरीका सीखने, संवेदनशीलता और सत्यनिष्ठता के विकास आदि में यह बहुत उपयोगी है।

## निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का दूसरा आयाम

1991 में 'नई आर्थिक नीति' के आने के पश्चात् निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता के नये आयाम उभरकर सामने आये हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक क्रियाकलापों में यथा सड़क, बिजली, बीमा, दूरसंचार, आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। सेवा और उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है। ऐसी स्थिति में दोनों क्षेत्रों की कार्य प्रणाली, उद्देश्य एवं गठबंधन को लेकर कई नैतिक प्रश्न उभरकर सामने आये हैं।



| सार्वजनिक क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                      | निजी क्षेत्र                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>मुख्य उद्देश्य :</b> जन कल्याण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास, समाजवादी उद्देश्य<br><b>कमी :</b> निर्णय प्रक्रिया जटिल, अनावश्यक विलंब अनावश्यक व्ययों में कमी नहीं, अपव्यय क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं लालफीताशाही श्रम अनुशासनहीनता सिव्क्योरिटी ऑफ सर्विस का अनुचित लाभ प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं | <b>मुख्य उद्देश्य :</b> लाभ कमाना<br><b>सकारात्मक पक्ष</b> मितव्ययिता दक्षता, गुणवत्ता नियंत्रण समय प्रबंधन प्रभावशाली शासन बेहतर सेवा<br><b>कमी :</b> जन कल्याण पर्यावरणीय पक्ष |

वर्तमान समय में दोनों पक्षों अर्थात् पब्लिक एवं प्राइवेट सेक्टर में दूरी घट रही है, सामंजस्य की स्थिति बढ़ रही है। आज पब्लिक सेक्टर कई रूपों में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति हेतु प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर है। वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर के लिए फंड का एक बड़ा भाग सार्वजनिक संस्थानों से प्राप्त होता है। चूंकि सरकार प्राइवेट कंपनियों को फंड प्रदान करती है इसीलिए इसे समझौते द्वारा सरकार (Govt. by Contract) कहा जाता है। शासन की यह नई विधा पब्लिक-प्राइवेट संबंध कहा जाता है। पीपीपी सरकार एवं प्राइवेट कंपनी (व्यवसायिक घराना) के मध्य का एक औपचारिक व्यवस्था है। जिसमें प्राइवेट कंपनी सरकार की सक्रिय सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों में भाग लेती है। पीपीपी प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अवसर प्रदान करती है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं एवं प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस, डिजाइन, निर्माण, ऑपरेशन एवं रख रखाव में मदद करे। **ऐसी नवीन उभरती नवीन स्थिति में अब आवश्यकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र भी दक्ष, प्रभावशाली एवं मितव्ययी बने तो दूसरी ओर निजी क्षेत्र भी जन कल्याण हेतु कदम उठाये। इस रूप में दोनों में एक-दूसरे के मूल्यों को संयुक्त करना आवश्यक हो गया है।**

समस्या: चुनाव के समय कई राजनीतिक पार्टियों को प्राइवेट सेक्टर द्वारा फंडिंग होती है। पार्टियाँ उनका नाम डिसक्लोज करने से बचती हैं। चुनाव के बाद नई सरकार आने के बाद उन कंपनियों द्वारा अपनी नीतियों एवं नीति फायदे के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग एवं अपने साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के लिए लॉबिंग करते हैं।

**लोक-निजी भागीदारी:** पीपीपी की अवधारणा सरकारी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित है। पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचना जैसे- सड़क, पुल, बाँध, विद्युत उत्पादन आदि से जुड़ी परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। देश की निर्माणकारी एवं विकासकारी परियोजना में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है। लोक-निजी भागीदारी के क्रम में ठेका (Contract), पट्टा (Lease), कनशेसंस (Concessions), डिवेस्टीचर (Divestiture), ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट (Greenfield Project) तथा ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट (Brownfield Project) आदि पद्धतियों को अपनाया जाता है। अगर इन पद्धतियों पर अमल के क्रम में नियमों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ पारदर्शिता का ध्यान नहीं रखा गया तो फिर जनहित की हानि हो सकती है।

जैसे- सड़क बनाने के क्रम में ठेका मिलने के पश्चात्, जब प्राइवेट कंपनियों को उनको बनाने एवं संचालन की जिम्मेदारी मिलती है तो एक तरफ तो अत्यधिक लाभ कमाने के लिए या तो मिलीभगत से अधिक खर्च की बात करते हैं या दूसरी तरफ संचालन के समय मनमाने तरीके से टोल टैक्स लंबे समय तक वसूल करते हैं।

## नये आयाम

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में-

1. मितव्ययी बने ताकि अतिरिक्त बचत को जनहित में लगाया जा सके।
2. दक्ष एवं प्रभावशाली बने ताकि जनता की समस्याओं का निदान हो सके।
3. आंतरिक रूप से उनमें सुधार हो अतः इसके लिए मूल्यों को विकसित करने की बात।
4. सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट आदि के माध्यम से नैतिक कर्मों का संपादन एवं अनैतिक कर्मों से दूर रहने के लिए बाध्य करना आदि।

प्राइवेट सेक्टर के संदर्भ में-

1. स्वैच्छिक रूप से सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन।
2. कानूनी रूप से सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु बाध्य करना।

गांधी के ट्रस्टीशिप की संकल्पना में स्वैच्छिक रूप से कॉर्पोरेट घरानों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की बात की गई है।

गाँधी आर्थिक न्याय हेतु अर्थात् समाज में आर्थिक विषमता निवारण हेतु ट्रस्टीशिप की अवधारणा का समर्थन करते हैं अर्थात् पूँजीपति अपनी संपत्ति के उतने ही भागों का उपयोग करेगा जितनी उसको आवश्यकता है तथा शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानकर उसका उपयोग समाज के हित में करेगा। आशय है कि वह अपनी अतिरिक्त संपत्ति का केवल संरक्षक के रूप में भूमिका का निर्वहन करेगा। ट्रस्टीशिप की इस अवधारणा के पीछे 'अपरिग्रह' (धन संग्रह न करना) की अवधारणा विद्यमान है। यहाँ यह भी मंतव्य निहित है कि 'सबै भूमि गोपाल की'। कहने का आशय है कि जिस प्रकार ईश्वर का वायु, जल, प्रकाश सबके लिए उपलब्ध हैं, उसी प्रकार भोजन, वस्त्रादि भी सबके लिए उपलब्ध होने चाहिए। भोजन एवं वस्त्रादि को अन्य व्यक्तियों के शोषण का साधन बनाना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। इससे हिंसा एवं रक्तपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः धनी व्यक्ति को अपनी अर्जित अतिरिक्त संपत्ति के अनावश्यक उपयोग का नैतिक अधिकार नहीं है। पूँजीपति समाज के अन्य लोगों के सहयोग से ही धन कमाता है। ऐसी स्थिति में उसका दायित्व है कि वह अपनी संपत्ति का उपयोग जनहित में भी करें।

उल्लेखनीय है कि साम्यवाद बल प्रयोग एवं हिंसात्मक कार्यवाही के माध्यम से पूँजीपतियों का विनाश कर उनकी संपत्ति का सामाजिक हित में उपयोग करने की बात करता है। पूँजीवाद उत्पादन एवं उपयोग पर पूँजीपति के स्वतंत्र स्वामित्व को स्वीकार करता है जबकि गाँधी आर्थिक विषमता की समाप्ति हेतु पूँजीवाद एवं मार्क्सवाद के भावात्मक पक्षों को स्वीकार करते हैं। गाँधी उत्पादन के दृष्टिकोण से पूँजीवाद एवं वितरण के दृष्टिकोण से समाजवाद की बात करते हैं। उनका कहना है कि यदि पूँजीपतियों का विनाश किया गया या उनकी संपत्ति का बलपूर्वक हनन किया गया तो फिर इससे-

- समाज में कटुता, वैमनस्य, घृणा एवं विद्वेष का भाव उत्पन्न होगा।
- यदि बल प्रयोग द्वारा पूँजीपति का विनाश किया गया तो समाज ऐसे लोगों को खो देगा जिनमें धनोपार्जन की क्षमता एवं उत्पादन की विधियों का ज्ञान है।
- सर्वोदय की अवधारणा पर प्रहार होना।

गाँधीजी ट्रस्टीशिप को नैतिक और भौतिक दो आधारों पर उचित ठहराते हैं-

1. **नैतिक आधार:** गाँधीजी के अनुसार सभी कुछ ईश्वर का है, सभी कुछ ईश्वर से ही प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को उसमें से उतना ही उपभोग करने का अधिकार है जितनी कि उसे आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक जो भी अतिरिक्त सम्पत्ति है, उसे समाज की धरोहर समझकर उसका उपयोग समाज के हित में करना उचित है। ईश्वर ने प्रत्येक को जीने का अधिकार दिया है, अतः शक्तिशाली या पूँजीपति अधिकाधिक धन अर्जित करें और निर्धन धन के अभाव में भूखे-नंगे एवं अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करें, यह अनुचित व असंगत है। इस प्रकार ट्रस्टीशिप से धन-संपदा का न्यायोचित उपयोग संभव हो पाएगा।
2. **भौतिक आधार:** धन-संपत्ति का स्वामित्व, प्रबंधन एवं प्रशासन, कुशल सुयोग्य अनुभवी हाथों में बना रहेगा, जिससे उत्पादकता व लाभकारिता प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकार नियंत्रण चाहे किसी का भी हो, उत्पादन और उससे होने वाले लाभ में सबकी आवश्यकतानुसार भागीदारी होगी। इस पद्धति से श्रमिकों एवं पूँजीपतियों के मध्य विषमता समाप्त होगी और जिसे मार्क्स वर्ग-संघर्ष कहता है, उसके लिए कोई कारण नहीं रहेगा।

## स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के साक्ष्य

विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी द्वारा अपनी संपत्ति का बड़ा भाग स्वेच्छा से जनकल्याण हेतु दिया गया। टाटा और बिड़ला भी विभिन्न ट्रस्टों एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जनहित के कार्यों को बढ़ावा देने में भागीदारी करते हैं।

बिल गेट्स विकासशील राष्ट्रों में पोलियो उन्मूलन के लिये अनेक कार्यक्रमों में फंडिंग करते हैं।



प्रख्यात भारतीय उद्योगपति एवं कॉरपोरेट लीडर अजीम प्रेमजी ने भारत में शिक्षा के उन्नयन के लिए 2 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की। सामाजिक हित में कॉरपोरेट घरानों के द्वारा किए जाने वाले नैतिक कर्मों का साक्ष्य है। वारेन बफेट ने 37 बिलियन डॉलर गरीबी निवारण के लिए दान दिया। मानव समाज के हित में उनके द्वारा किया गया योगदान व्यक्तिगत नैतिकता का एक उदाहरण है। यह उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं सीएसआर को दर्शाता है।

### कानूनी रूप से सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए बाध्य

- इसके दो रूप हैं-
1. उन्हें सामाजिक हित के कार्यों को संपादित करना होगा।
  2. सामाजिक हित के विपरीत कार्यों से अपने को पृथक् करना होगा।

**सकारात्मक पक्ष:** अभी हाल ही में नये कंपनी एक्ट में अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि प्राइवेट कंपनी को अपने विशुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सामाजिक हित के कार्यों में खर्च करना पड़ेगा। यह उनके सीएसआर अर्थात् 'कारपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी' से संबंधित है।

### निजी और सार्वजनिक संबंधों में नये उभरते मुद्दे

1. कई निजी/प्राइवेट कंपनियाँ अपने लाभ को लगातार बढ़ाने के लिए व्यापक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करती हैं। इसका परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन एवं अन्य पर्यावरणीय संकट वैश्विक स्तर पर उभर कर सामने आ रहा है। इसका व्यापक दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है।
2. कई बार आम लोगों की मेहनत से कमाई गई इनकम या बचत को कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक चपत लगाते हैं। अभी हाल ही में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी द्वारा किया गया घोटाला तथा पंजाब एण्ड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसका साक्ष्य है। ऐसे बैंकों में ऑडिट और निगरानी व्यवस्था समुचित नहीं थी। ऐसे मामलों में बैंक के रेग्युलेटर, निर्देशक एवं ऑडिटर को समान रूप से दोषी माना जाना चाहिए। अभी एक साल के भीतर गड़बड़ी करने वाला पीएमसी 24वां सहकारी बैंक है। पीएमसी ने एसडीआईएल नामक कंपनी को व्यापक कर्जा दिया जो कर्ज लौटाने की स्थिति में नहीं थी। यह बैंकों को ठगने और लाखों बैंक उपभोक्ताओं के भरोसे को ठगने का मामला है। सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के दायरे में आते हैं। परंतु इस पर वास्तविक नियंत्रण सहकारी समितियों का होता है। इन समितियों में नेताओं और उनके सगे-संबंधियों का दबदबा होता है जो अपनी मनमानी करते हैं।
3. कई बार दवा कंपनियाँ मुनाफा कमाने हेतु वैसी दवाओं को भी मार्केट में बेचती हैं जिनके घातक दुष्परिणाम बाद में उभरकर सामने आते हैं। अभी हाल ही में जॉनसन-एण्ड-जॉनसन कंपनी के दवा साइड इफेक्ट से एक पुरुष में महिलाओं जैसे बदलाव आ गये। परिणामस्वरूप अमेरिका में इस कंपनी पर भारी जुर्माना लगा।
4. सोशल मीडिया साइट्स ट्वीटर और फेसबुक ने अपने लाखों यूजर्स की पहचान और निजी जानकारी उजागर कर दी। उन्होंने बड़ी संख्या में यूजर्स के नम्बर और ईमेल को मार्केटिंग कंपनियों को बेच दिये। इससे उनकी निजता का उल्लंघन हुआ। अमेरिका में फेसबुक पर निजता का उल्लंघन करने पर 5 अरब डॉलर का जुर्माना लग चुका है।
5. सार्वजनिक सम्पतियों पर कई बार भू-माफियाओं और राजनीतिक दलों के अवैध कब्जे की खबरे आती रहती हैं। यह राजनीति में मिशन भाव की कमी को दर्शाता है। अभी हाल ही में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने लम्बे समय से काबिज होने के आधार बनाकर सार्वजनिक सम्पति पर राजनीतिक दलों के अवैध कब्जों को अनैतिक करार दिया है।
6. आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना के अनेक प्राइवेट अस्पताल को भी जोड़ा गया है। कई अस्पताल इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिल की रकम को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। छोटी-मोटी बिमारियों के लिए ओपीडी में इलाज करने के बजाय आईसीयू भर्ती दिखाया गया और कई मामलों में अनावश्यक सर्जरी कर भारी बिल सरकार को भेजा गया। बेवजह ज्यादा जाँच, जरूरत से ज्यादा दवाएँ और गैर-जरूरी ऑपरेशन करके सरकार से रकम हड़पने का उपाय किया जा रहा है। यह एक तरीके से जिंदगी से खिलवाड़ के साथ-साथ सरकारी धन के दुरुपयोग करने का मामला है।